


9.12.23 - पत्रावली पेशी मे आई। वकील वादी
उपस्थित नही आये। वादी एव वादी
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई।
आवाज लगाने के उपरान्त भी
असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये।
वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही
आने के कारण वादपत्र वादी अदम
पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जाता
है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर

एवं उपखण्डाधिकारी

हनुमानगढ